प्रकीर्ण वाद संख्या २६१/२०२० (एम.ए.सी.पी. सं.१७८/२०२०)
श्रीमती लीला देवी आदि बनाम किशोरी लाल आदि
<u>२९.१२.२०२०</u>

३बी प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण/याचीगण श्रीमती लीला देवी, जितेन्द्र एवं महेन्द्र कुमार द्वारा इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त याचिका न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक १२.१२.२०२० को लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर निस्तारित की जा चुकी है। न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में विपक्षी सं. ३ बीमा कम्पनी द्वारा प्रतिकर धनराशि ₹ ४,५०,००० न्यायाधिकरण के खाता पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी में जमा कर दी गयी है, जिसका यू.टी.आर. नं. ए एक्स आई एस पी ००१६८८२०१९९ है। अतः प्रार्थीगण ने प्रार्थना की है कि उक्त प्रतिकर धनराशि उन्हें दिलाए जाने की कृपा की जाय। प्रार्थीगण ने समर्थन में प्रार्थिया श्रीमती लीला देवी का शपथपत्र, अपने-अपने खाते की पासबुक व आधार कार्ड की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई हैं।

प्रार्थीगण मय विद्वान अधिवक्ता वर्चुअल न्यायालय में उपस्थित आये। प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा एम.ए.सी.पी. सं. १७८/२०२० श्रीमती लीला देवी आदि बनाम किशोरी लाल आदि व प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद की पत्रावलियों एवं कार्यालय आख्या का अवलोकन किया गया। प्रार्थिया श्रीमती लीला देवी ने अपने शपथपत्र में प्रार्थनापत्र के कथनों का समर्थन किया है तथा यह भी कथन किया गया है कि उसकी जानकारी में विपक्षीगण द्वारा न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की गई है। मूल पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत याचिका में न्यायाधिकरण द्वारा दिनाँक १२.१२.२०२० को **राष्ट्रीय लोक अदालत** में सुलहनामा के आधार पर ₹ ४,५०,००० हेतु एवार्ड पारित किया गया है, जिस प्रतिकर धनराशि में से याचीगण सं.१ लगायत ३ प्रत्येक को क्रमशः ५०, २५ व २५ प्रतिशत भाग प्राप्त होना है, तथा याची सं. १ लगायत ३ को प्राप्त होने वाली उक्त प्रतिकर धनराशि में से २५-२५ प्रतिशत भाग आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के जरिए उन्हें अपने बैंक खाते में नकद प्राप्त होनी है तथा उनकी शेष ७५-७५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति धनराशि की ३-३ वर्ष के लिए एन्युटी बनाई जानी है। कार्यालय आख्या के अनुसार बीमा कम्पनी के विद्वान अधिवक्ता श्री सुपर्व शरण द्वारा प्रस्तुत विवरण के अनुसार पी.एन.बी. शाखा झोकनबाग, झाँसी में यू.टी.आर. नं. ए एक्स आई एस पी ००१६८८२०१९९ से ₹ ४,५०,००० जमा करने का इन्द्राज है। प्रार्थीगण ने अपने-अपने बैंक खाते की पास बुक की छाया प्रतियाँ दाखिल की गई हैं। उक्त से स्पष्ट है कि विपक्षी बीमा कम्पनी द्वारा न्यायाधिकरण के उक्त आदेश के अनुपालन में प्रकरण में क्षतिपूर्ति की धनराशि ₹ **४,५०,०००** जमा की जा चुकी है। अतः मेरे विचार से प्रार्थीगण प्रकरण में जमाशुदा उपरोक्त धनराशि न्यायाधिकरण के आदेश के अनुपालन में जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट अपने-अपने बैंक खाते में नकद एवं वर्णित एन्युटी के माध्यम से प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

<u>आदेश</u>

पंजाब नेशनल बैंक शाखा झोकनबाग, झाँसी को आदेशित किया जाता है कि वह एम.ए.सी.पी. सं. १७८/२०२० (प्रकीर्ण वाद सं. २६१/२०२० श्रीमती लीला देवी आदि बनाम किशोरी लाल आदि) के प्रकरण में जमा उक्त क्षतिपूर्ति धनराशि मय अर्जित ब्याज को प्रार्थीगण को निम्न सारिणी के अनुसार भुगतान कर दें:-

Applicant/ Petitioner	Amount in ₹	+(%of) Interest Accrued on Deposited Amount	Mode of Disbursment	Bank Account Number	Bank	IFSC Code
1. Smt. Lila Devi	168750	37.5	Annuity for 3 years	___	Any Nationalized Bank	____
1. Smt. Lila Devi	56250	12.5	Elect. Mode RTGS/NEFT	2935001700025569	PNB Branch Parichha Thermal Power Campus Jhansi	PUNB0293500
2. Jitendra	84375	18.75	Annuity for 3 years	___	Any Nationalized Bank	____
2. Jitendra	28125	6.25	Elect. Mode	2935001700062320	PNB Branch Parichha	PUNB0293500

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.01.04 16:14:17 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi

			RTGS/NEFT		Thermal Power Campus Jhansi	
3. Mahendra Kumar	84375	18.75	Annuity for 3 years	___	Any Nationalized Bank	____
3. Mahendra Kumar	28125	6.25	Elect. Mode RTGS/NEFT	2935001700082272	PNB Branch Parichha Thermal Power Campus Jhansi	PUNB0293500
Total	**450000**	100				

तदनुसार अनुपालन आख्या तत्काल जरिये ई-मेल एवं वाट्सएप न्यायाधिकण को प्रेषित की जाय। ३बी प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(चंद्रोदय कुमार)
पी.ओ., एम.ए.सी.टी., झाँसी।